

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12016- निगरानी

दिनांक- 12-03-2016

श्री. एस. 020 द्वारा
द्वारा आज दि. 12-4-16 को
प्रस्तुत
ज. प्र. म. प्र.
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुनीन्द्र सिंह पुत्र तेजवहादुर सिंह चौहान,
निवासी- ग्राम नौगमाधीर सिंह, तहसील उठेठ
गोंयदवनास जिला सीधी-मध्य प्रदेश।

----- प्रार्थी

बिराध्व

- १- रामलाल उर्फ समयलाल कौल पुत्र श्री
अजनुआ कौल,
- २- राजवहादुर सिंह पुत्र नडात्रधारी सिंह,
निवासीगण ग्राम नौगमाधीर सिंह,
तहसील- गोंयदवनास जिला सीधी-(म०प्र०)।

----- प्रतिप्रार्थीगण

एस. 020
9-4-16

निगरानी बिराध्व आदेश एस०डी०ओ० महोदय गोंयदवनास जिला
सीधी दिनांक 31-03-2016, अर्थात् धारा 40 मध्यप्रदेश म-राजस्व
संहिता, 1956। प्र०क्र० अंजियत। अ-23154-16।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- १- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आशा कानून सही
नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी
स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है।
- ३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय को न्यायालय में की जा रही
कार्यवाही प्रकरण को पंजियत किये बिना ही की जा रही है,
जो प्रविष संहिता की धारा 8 81 के अधीन बने नियम-6 का


24

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/1200/II/16, सीधी,

शुनीन्द्र/राजभाष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8/11/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>एस. डे. अलखी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>डॉ. पद्मनाभ</u> के प्रकरण क्रमांक <u>अपेजी/अ-23/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>31/03/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/1/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	